यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला क्रीड़ा अधिकारी, पिथौरागढ़** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **जिला क्रीड़ा अधिकारी, पिथौरागढ़** के माह अक्टूबर 2013 से दिसम्बर 2016 तक के अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय सचान एवं श्री रवि शंकर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 31.01.2017 से 03.02.2017 तक सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री दयाशंकर, लेखापरीक्षक एवं श्री आनन्द कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 14.10.2013 से 19.10.2013 तक श्री एस.के. त्यागी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 05/2009 से 09/2013 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 10/2013 से 12/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- सलंग्न
(इकाई द्वारा संचालित योजनाओं सहित क्रियाकलाप तथा भौगोलिक अधिकार क्षेत्र बताया जाय)

(II) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2013-14	-	-	32.75	29.62	91.32	91.28	-	3.17
2014-15	-	-	31.55	31.55	163.34	163.34	-	-
2015-16	-	-	29.36	29.36	164.24	164.24		-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
		-------- शून्य-------			

(यदि लेखापरीक्षा अवधि तीन वर्ष से अधिक हो तो सम्पूर्ण अवधि का बजट आवंटन एवं व्यय विवरण अंकित किया जाय)

(III) इकाई को बजट आवंटन (राज्य सरकार) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई (सी) श्रेणी (जिस श्रेणी के अंतर्गत इकाई आती है, उसे इंगित किया जाय) की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः सलंग्न

(सगंठनात्मक ढांचा सचिव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रदर्शित किया जाय)

(IV) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः- लेखापरीक्षा में **जिला क्रीड़ा अधिकारी, पिथौरागढ़** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किए जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला क्रीड़ा अधिकारी, पिथौरागढ़**की लेखा परीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02/2015 एवं 11/2015 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखपरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-III

1- विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो(अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो(ब) प्रस्तर संख्या
113/2013-14	-	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
----------शून्य----------				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हो) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

-------------शून्य-----------

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-1- मिनी स्टेडियम, धारचूला में उच्चीकरण हेतु ` 30.00 लाख के कार्य अद्योमानक एवं अपूर्ण रहना।

माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार की घोषणा सं. 221/2014 खेल के अनुपालन में उत्तराखण्ड शासन के मुख्यमंत्री कार्यालय, अनुभाग-4 के पत्र सं. 27(ii)/XXXV—4-222 घो/2014 के निर्देशानुसार ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, अस्थाई प्रखण्ड डीडीहाट के आगणन पर तकनीकी पैनल की तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त जिलाधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा जिला योजना से मिनी स्टेडियम, धारचूला के उच्चीकरण हेतु ` 30.00 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। कार्य हेतु जिला क्रीड़ा अधिकारी, पिथौरागढ़ और अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, अस्थाई प्रखण्ड, डीडीहाट के मध्य समझौता ज्ञापन किया गया (15 जून 2015)। समझौता ज्ञापन के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 21.06.2015 एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि 20.02.2016 थी।

इकाई के निर्माण संबंधी लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि मार्च 2016 में कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य को ` 30.00 लाख व्यय कर, पूर्ण घोषित किया गया। जबकि शासन में कार्य पूर्ण नहीं किये गये थे। शेष कार्यों हेतु जिला क्रीड़ा अधिकारी द्वारा अभिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग अस्थाई प्रखण्ड, डीडीहाट एवं अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पिथौरागढ़ को पत्र लिखे गये।

लेखापरीक्षा तिथि तक मिनी स्टेडियम धारचूला में शौचालयों में सप्लाई पाइप, छत से पानी निकासी हेतु डाउन पाइप, खिडकी एवं दरवाजों, रोशनदानों के शीशाफ्रेम, शीशा, मरकरी लाइटें, विद्युत मरम्मत कार्य, अधूरे हैं। जिस कारण से स्टेडियम विभाग को हस्तगत भी नहीं किया गया है।

समझौता ज्ञापन की शर्त सं. 12 के अनुसार यदि निर्माण कार्य के दौरान और परियोजना की समाप्ति के बाद निरीक्षण के दौरान कोई त्रुटि या अन्तर दिखाई दे निर्माण एजेन्सी द्वारा उन्हें सुधारना होगा। यदि निर्माण एजेन्सी द्वारा त्रुटियां सुधारी नहीं जाती है। तो ग्राहक निर्माण एजेन्सी से समुचित हर्जाना वसूल सकता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने उत्तर दिया कि समस्त कार्यों को पूर्ण करने हेतु निर्माण एजेन्सी को पत्र प्रोषित किये गये है। किन्तु उच्चीकरण से संबंधित कार्य पूर्ण होने शेष है। जबकि निर्माण एजेन्सी द्वारा ` 30.00 लाख की धनराशि व्यय कर उपभोग प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर दिया गया है। इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं है। क्योंकि इकाई द्वारा न ही कार्य पूर्ण करवाये गये और न ही निर्माण एजेन्सी से हर्जाना वसूलने जैसी कोई कार्यवाही की गई।

अतः मिनी स्टेडियम धारचूला में ` 30.00 लाख की धनराशि व्यय होने के बाद भी कार्यों के अद्योमानक एवं अपूर्ण रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1- ` 1545 लाख की धनराशि व्यय करने के बाद भी अधूरा निर्माण कार्य।

मा. मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन, द्वारा दिनांक 26 फरवरी 2014 को जनपद पिथौरागढ़ में घोषणा की, कि मुनस्यारी में. प. नैन सिंह सर्वेयर के नाम से माउन्टेनियरिंग प्रशिक्षण केन्द्र खोला जायेगा। तत्पश्चात शासनादेश सं. 295/VI-2/2015-29(i) 2014 TC-I एवं शासनादेश सं. 292/VI-2/2015-29(i)/2014 दिनांक 30 मार्च, 2015 के द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण कार्यों हेतु प्रस्तावित आगणन ` 2498.68 लाख के सापेक्ष, टी.ए.सी. के परीक्षणोंपरान्त धनराशि ` 2042.70 लाख स्वीकृत किये गये। जिसके सापेक्ष ` 1751.14 लाख व्यय करने की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति दिनांक 30 मार्च, 2015 को उल्लेखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी। कार्यदायी संस्था, उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लि., पिथौरागढ़, चम्पावत इकाई द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु किये जाने वाले कार्य निम्नलिखित थे, जिसके लिए 18.03.2016 तक ` 1951.14 लाख (` 1751.14+200) की धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किये जा चुके थे।

तालिका-1

किये जाने वाले कार्य	**कार्य प्रारम्भ व पूर्ण करने की तिथि**
(1) मुख्य भवन व डोरमैट्री भवन	31.12.2016
(2) हास्टल ब्लॉक	31.12.2016
(3) आवासीय भवन 4 आवास -1 नग 3 आवास - 2 नग 2 आवास - 2 नग	31.01.2017
(4) मुख्य मार्ग से प्रस्तावित स्थल तक लगभग 1.6 किमी. पहुँच मार्ग, केटिग एवं जी.एस.बी. कार्य सुरक्षा दीवार व बरसाती नाली बनाना।	

आगे अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि उक्त कार्यों की अद्यतन स्थिति व व्यय धनराशि निम्नलिखित थी।

तालिका-2

कार्य	स्वीकृति वर्ष	कार्य कुल लागत ` लाख में	प्राप्त धनराशि ` लाख में	व्यय धनराशि ` लाख में	कार्य की स्थिति	भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7
मुनस्यारी में प. नैन सिंह स्वैयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण केन्द्र	2014-15	2042.78	1951.14 (1751.41+200)	1545.00	अपूर्ण	52% (11/2016)

तालिका 1 व 2 स्पष्ट था कि मुख्य भवन व डोरमैट्री तथा हास्टल ब्लॉक को 31.12.2016 तक तथा आवासीय भवनों को 31.01.2017 तक पूर्ण होना था, परन्तु ` 1951.14 लाख (लागत का 95%) की धनराशि अवमुक्त होने के उपरान्त भी निर्माण कार्य केवल 52% पूर्ण थे। जिसके कार्य में और लागत बढ़ने की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।

इंगित करने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि समय-समय पर कार्यदायी संस्था से पत्राचार किये गया व कार्यस्थल का निरीक्षण किया गया है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लागत का 95% अवमुक्त होने के बाद भी भौतिक प्रगति 52% थी।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>STAN</u>

प्रस्तर-2- ` 12.00 लाख के उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध न कराया जाना।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा जिला योजना के अंतर्गत अवमुक्त की गई धनराशियों से संबंधित शासनादेशों में स्पष्ट उल्लिखित है कि धनराशि के उपभोग के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र विभागाध्यक्ष/शासन को उपलब्ध कराया जाय।

कार्यालय जिला क्रीड़ा अधिकारी, पिथौरागढ़ के अंतर्गत जिला योजना में स्वीकृत निर्माण कार्यों की जांच में पाया गया कि खेल स्टेडियम, पिथौरागढ़ की बाउन्ड्रीवाल निर्माण हेतु पत्रांक 620/जि.यो.प्र.वि.स्वी./2013-14 दिनांक 19.11.2013 द्वारा ` 4.94 लाख एवं पत्रांक 309/जि.यो.-प्र.वि.स्वी./2014-15 दिनांक 26.07.2014 द्वारा ` 5.06 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। इस प्रकार पत्रांक 646/जि.यो.स्वी./2014-15 दिनांक 02.12.2014 द्वारा बाक्सिंग रिंग वायर वाउन्ड्री निर्माण हेतु ` 2.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई।

लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उक्त दोनों कार्य ग्रामीण निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ द्वारा किये गये। जो कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में पूर्ण हो चुके है। लेखा अभिलेखों की जांच में आगे पाया गया कि उक्त कार्यों को न ही निर्माण एजेन्सी द्वारा विभाग को हस्तगत किया गया है और न ही उनके उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग/शासन को प्रेषित किये गये है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने उत्तर दिया कि निर्माण एजेन्सी द्वारा कार्य हस्तगत प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये है और न ही उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये गये है।

इकाई ने उत्तर से लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वतः पुष्टि हो जाती है।

अतः ` 12.00 लाख की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराये जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **जिला क्रीड़ा अधिकारी, पिथौरागढ़** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-**

(अ) शून्य

(I) **अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या**

3. **सतत् अनियमितताएः-**

(अ) शून्य

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।**

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री विनोद सिंह बल्दिया	जिला क्रीड़ा अधिकारी	

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला क्रीड़ा अधिकारी, पिथौरागढ़** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय)।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)